

Act Regulatory
Commission

Section

52



This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 7 फरवरी, 2011/18 माघ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-24/2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-01-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश प्राईवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 19) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा
सचिव, विधि।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना ।
2. परिभाषाएं ।
3. आयोग की स्थापना ।
4. आयोग की संरचना ।
5. सदस्य का हटाया जाना ।
6. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।
7. बैठकें ।
8. निधि ।
9. आयोग की शक्तियां और कृत्य ।
10. आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां ।
11. शास्तियां ।
12. आयोग के लेखे और संपरीक्षा ।
13. वार्षिक रिपोर्ट ।
14. क्षतिपूर्ति ।
15. सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।
16. निदेश जारी करने की शक्ति ।
17. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
18. नियम बनाने की शक्ति ।
19. विनियम बनाने की शक्ति ।
20. विधान सभा में रखे जाने वाले नियम और विनियम ।
21. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

2011 का अधिनियम संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथा अनुमोदित)

प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान का समुचित स्तरमान सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों के संरक्षण हेतु, राज्य स्तर पर विनियामक आयोग और विनियामक तंत्र की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को लागू होगा ।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसका अध्यक्ष इसके अन्तर्गत है ;

(ग) "प्राइवेट शिक्षा संस्था" से किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों (स्कूलों) के सिवाय, राज्य में समस्त प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं अर्थात् महाविद्यालय, शिक्षा के व्यावसायिक महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा के संस्थान, प्रबन्धन, विधि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मसी, सह-चिकित्सीय संस्थाएं और विश्वविद्यालय, डीन्ड विश्वविद्यालय, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस या उच्चतर विद्या की कोई अन्य शिक्षा संस्थाएं अभिप्रेत हैं ;

(घ) "विनियम" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "विनियामक निकाय" से इस प्रयोजन के लिए स्थापित कोई राज्य या केन्द्रीय कानूनी विनियामक निकाय अभिप्रेत है ;

(च) "छात्र" से किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने वाला प्राइवेट शिक्षा संस्था में प्रविष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(ञ) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्यवर्ग या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है।

3. आयोग की स्थापना:—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, राज्य में विनियामक तंत्र उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए और प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रमों का समुचित स्तरमान सुनिश्चित करने के प्रयोजन तथा छात्रों के हितों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार और केन्द्रीय विनियामक निकायों के मध्य एक अन्तरासीक बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग की स्थापना कर सकेगी ।

(2) आयोग शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

4. आयोग की संरचना:—(1) आयोग, अध्यक्ष तथा लोक जीवन या उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों में से या उनमें से जो तीन वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार में सचिव या इससे ऊपर रहे हों, या जिन्होंने भारत सरकार में तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए समतुल्य पद धारित किया हो, में से अधिकतम दो सदस्यों से गठित होगा :

परन्तु अध्यक्ष और सदस्य विशेषज्ञता के समरूप क्षेत्र में से नहीं होगा।

(2) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जांच समिति की सिफारिशों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता/लेती; जो भी पूर्वतर हो, की जाएगी और ऐसा अध्यक्ष या ऐसे सदस्य, पैंसठ वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अध्यक्षीन, दूसरी पदावधि के लिए पात्र हो सकेंगे:

परन्तु पदावधि की समाप्ति के पश्चात्, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्राइवेट शिक्षा संस्था या हिमाचल प्रदेश में या इसके बाहर उनके सहायक कार्यालयों या कम्पनियों में तीन वर्ष की अवधि के लिए आगामी नियोजन या किसी कर्तव्य भार के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) जांच समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्:—

- | | |
|--|---------------|
| (i) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार | — अध्यक्ष; |
| (ii) प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार | — सदस्य; और |
| (iii) प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार | — सदस्य सचिव। |

5. सदस्य का हटाया जाना.—(1) किसी भी सदस्य को, इस धारा के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, अपने पद से हटाया नहीं जाएगा।

(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि—

- (क) वह सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो; या
- (ख) वह ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्बलित हो; या
- (ग) वह शारीरिक और मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या
- (घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
- (ङ) उसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या
- (च) वह सिद्ध कदाचार का दोषी हो; या
- (छ) वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा हो;

परन्तु किसी भी सदस्य को खण्ड (घ), (ङ), (च) या (छ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक इस प्रयोजन के लिए कोई जांच न की गई और सदस्य को अपनी प्रतिरक्षा का अवसर न दे दिया गया हो।

6. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी.—(1) आयोग का एक सचिव होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, नियुक्त किया जाएगा।

(2) आयोग, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जैसे यह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा।

(3) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।

7. बैठकें.—आयोग, ऐसे समय और स्थान पर, उतनी बार, जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगा तथा ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए।

8. निधि.—आयोग एक निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे; अर्थात्:—

- (क) प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रति वर्ष कुल फीस का, ऐसा प्रतिशत, जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए; परन्तु यह कुल फीस के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;
- (ख) राज्य सरकार से प्राप्त ऋण, जो तीन वर्षों के भीतर प्रतिसंदेय होगा;
- (ग) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त दान और अन्य कोई अनुदान; और
- (घ) शास्तियों के रूप में प्राप्त समस्त रकम ।

9. आयोग की शक्तियों और कृत्य.—(1) यह सुनिश्चित करना आयोग का कर्तव्य होगा कि प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम, अर्हित शिक्षकों और अवसरचयना के स्तरमान सन्निधियों के अनुसार, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विनियामक निकायों द्वारा या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखे जा रहे हैं। शिक्षा संस्था द्वारा अधिकथित स्तरमानों को पूरा करने में विफलता की दशा में, आयोग को अधिनियम की धारा 11 के अधीन शिक्षा संस्थाओं पर शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी और संस्था द्वारा स्तरों को पूरा करने में क्रमवार विफलता की दशा में आयोग, राज्य सरकार/विनियामक निकाय को किसी संस्था को बंद करने की सिफारिश कर सकेगा ।

(2) आयोग सुनिश्चित करेगा कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा में या किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता (मैरिट) पर आधारित है और जहां पर राष्ट्रीय स्तर की संयुक्त प्रवेश परीक्षा या राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा नहीं है, वहां योग्यता (मैरिट), सर्वथा अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

(3) आयोग, छात्रों और माता-पिता की शिकायतों की प्राप्ति और उनके निवारण के लिए, समुचित क्रिया प्रणाली विकसित करेगा और प्राइवेट संस्थाओं को आयोग को, रिपोर्ट की गई शिकायतों के निवारण के लिए, एक समुचित शिकायत निवारण क्रिया प्रणाली स्थापित करने हेतु निदेश कर सकेगा। ऐसी शिकायतों को, आयोग द्वारा नियत समय के भीतर, संस्था द्वारा ऐसी शिकायत के निवारण हेतु उठाए गए कदमों के विवरण सहित, निवारण किया जाएगा ।

(4) आयोग जब कभी अपेक्षित हो, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगा और प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित कर सकेगा ।

(5) आयोग को प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में फीस का अनुश्रवण और विनियमन करने की शक्ति होगी ।

10. आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां.—(1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1098 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य अन्य भौतिक पदार्थ का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (घ) किसी लोक अभिलेख को मांगना;

(ड) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना; और

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही, सुनवाई या विषय में ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ होंगी जैसा आयोग समुचित समझे ।

(3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में छात्रों तथा माता-पिता के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जैसा वह उचित समझे, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन समस्त विवाद, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908(1908 का 5) के आदेश 37 के उपबन्धों के अनुसार संक्षेपतः विनिश्चित किए जाएंगे ।

11. शास्तियाँ.—(1) आयोग, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी उपबन्ध या आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के लिए, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु द्वितीय या पश्चात्पूर्वी उल्लंघन के लिए अधिकतम शास्ति, पांच करोड़ रुपए होगी :

परन्तु तब तक कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक सम्बद्ध संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति, सम्बद्ध शिक्षा संस्था से विन्यास निधि या किसी अन्य निधि से या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली होगी ।

12. आयोग के लेखे और संपरीक्षा.—(1) आयोग अपने लेखों को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रखेगा, जैसी विहित की जाए ।

(2) आयोग के लेखों की, भारत के नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक संपरीक्षा करवाई जाएगी और आयोग, संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा ।

13. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) आयोग, यथाशीघ्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का विवरण दर्शाती एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसी तारीख को और ऐसे प्ररूप में, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाए और राज्य सरकार ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को इसकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

(2) आयोग प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को आयोग के संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति भेजेगा और राज्य सरकार ऐसे लेखों को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

14. क्षतिपूर्ति.—इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ आयोग के अध्यक्ष, किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होंगी ।

15. सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.—आयोग के सदस्य और अन्य कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860(1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।